न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम, आर.जे.एस.

विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 103/2026

C.I.S. No. – B.A. 348/2026

C.N.R. No. – RJJH010011182026

रविन्द्र उर्फ सोनू उर्फ लोडिया पुत्र रणवीर सिंह, निवासी कैरू पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनूं

.... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता
सेशन प्रकरण संख्याः 23/2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 204/2022, पुलिस थाना बगड़
अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 341, 427, 506, 302 भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–

01. श्री अनूप गिल – अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

02. श्री नंदकिशोर शर्मा – अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से

–आदेश–

दिनांकः– 08 जून, 2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र उर्फ सोनू उर्फ लोडिया की ओर से जमानत का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रार्थना

पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। संबंधित पत्रावली तलब की गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.09.2022 को परिवादी महेन्द्र सिंह ने थानाधिकारी, पुलिस थाना बगड़ के समक्ष एक टाइपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 09.09.2022 को सांय करीब आठ बजे उसका लड़का राकेश व उसके परिवार का लड़का संजीव दोनों खेत से ग्राम भडौन्दा खुर्द अपने घर आ रहे थे। उनके पास स्वीफ्ट गाड़ी नंबर एचआर 07 पी 8177 थी। संजीव व राकेश अपने खेत से काटली नदी में ग्रेवल भड़ून्दा खुर्द जाने वाले रास्ते पर पहुंचे तो सामने से एक कैम्पर गाड़ी ने आकर उनकी गाड़ी के टक्कर मारी जब उन दोनों ने सम्भलने की कोशिश की इतने में ही एक दूसरी कैम्पर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी जिस पर लालकोठी लिखा हुआ था। दोनों गाड़ियां बिना नंबरी थी उन कैम्पर गाड़ियों से दिनेश मालसरिया पुत्र विद्याधर निवासी मालसर, प्रदीप मंगावा पुत्र रणवीरसिंह निवासी बामला की ढाणी बामलास, रवि बलौदा पुत्र दलीप सिंह निवासी बजावा रावतका, विश्वबंधु पुत्र बलबीर, देशबंधु पुत्र बलवीर निवासी नुन्द का बास जिला चूरू हाल निवासी गोलाई मोड़ कस्बा झुंझुनूं, अरविन्द उर्फ गब्बर पुत्र सुभाष चंद निवासी हमीरी कलां हाल ईशरपुरा, रमेश कुमार पुत्र दयानंद निवासी छउ, मंजीत झाझड़िया पुत्र राजेश झाझड़िया निवासी केहरपुरा कलां हाल सूर्यविहार झुंझुनूं, अजीत बाबा, कुलदीप मील पुत्र समदर मील, निवासी हासलसर, उमेश बाबल निवासी हंसासर, ईमरान शेखसर, सोनू निवासी कैरू व अन्य हाथों में लाठियां, पाईप, सरिये व धारदार हथियार लेकर कैम्परों से नीचे उतरे व उसके लड़के राकेश को गाड़ी से बाहर निकालकर नीचे पटककर सभी ने एकराय होकर मारना शुरू कर दिया। संजीव ने बीच–बचाव किया लेकिन उसको अलग रहने की धमकी दी तथा तथा कहा कि अगर पास में आया तो तेरे को भी जान से मार देंगे। वो लाचार बनकर खड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत करके बचाओ–बचाओ का हल्ला मचाया, इतने में ही वह व

शिवपाल पुत्र श्रवणराम बुडानियां निवासी चिचडौली सुलताना गांव की तरफ से भडून्दा खुर्द वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो उन्होंने हल्ला सुनकर मोटरसाइकिल रोकी तो उन्होंने देखा कि उसके लड़के राकेश को उक्त लोग नीचे डालकर मारपीट कर रहे थे व उन्हें देखकर सभी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। उक्त लोग राकेश से छात्रसंघ चुनावों को लेकर पुरानी दुश्मनी रखते है, इसलिए वह सभी को जानता है, क्योंकि उसका लड़का छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुका है। फिर संजीव ने घर फोन किया तब उसके घर से उसका भाई भूपेन्द्र गाड़ी लेकर आया। उन सभी ने राकेश को गाड़ी में डालकर इलाज के लिए तुरन्त बीडीके अस्पताल झुंझुनूं में भर्ती करवाया। जहां पर दौराने इलाज उसके बेटे की मौत हो गई। छात्रसंघ चुनावों के बाद से उसके बेटे को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी इत्यादि ... रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 204/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 341, 427, 506, 302, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध बनना पाए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो सेशन प्रकरण इस न्यायालय में साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर लम्बित है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय के तथ्य दर्शित किए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में अभियोजन के अनुसार घटना के तीन चश्मदीद गवाह है, जो प्राकृतिक नहीं है, हितबद्ध होने के कारण बनाए गए गवाह हैं। गवाह संजीव कुमार की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अन्य चश्मदीद गवाहान महेन्द्र सिंह व शिवपाल द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का घटना में शामिल होने के संबंध में कथन नहीं किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त हथियारों की डी.एन.ए. रिपोर्ट आ चुकी है,

जिसमें मृतक का रक्त व हथियारों पर पाए गए रक्त का डी.एन.ए. समान नहीं है। प्रार्थी दिनांक 08.08.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त उचित जमानत मुचलके पेश करने एवं न्यायालय आदेश मानने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

4. इस प्रार्थना पत्र का अपर लोक अभियोजक की ओर से लिखित जवाब पेश नहीं किया गया।

5. बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य हो चुकी है, जो कि विश्वसनीय नहीं है एवं चश्मदीद गवाहान द्वारा अभियुक्त के घटना में शामिल होने के संबंध में कोई कथन नहीं किए गए हैं। अभियुक्त गत लंबे समय से न्यायिक अभिरक्ष में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। लिहाजा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभी महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य होनी शेष है। चश्मदीद गवाहान द्वारा भी अभियुक्त के घटना में सम्मिलित होने के संबंध में स्पष्ट कथन अपनी साक्ष्य दौरान किए गए हैं। अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है। लिहाजा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र कुमार उर्फ लोडिया उर्फ सोनू कुमार का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	प्र.सू.रि.सं./ प्रकरण सं./थाना	अपराध अंतर्गत धारा	तारीख प्र.सू.रि.	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	गिरफ्तारी की दिनांक	छूटने की दिनांक
01	56/21,उधोग नगर सीकर	341,323,427/34 भादसं	27.01.21	जैर ट्रायल	02.02.21	02.02.21

02	12/22, गुढागोड़जी	143,148,149,323,427,365,325,36 8,382 भादसं व धारा 3/25 आयुध अधिनियम	11.03.22	जैर अनुसंधान	–	–

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध अन्य मुलजिमान के साथ मिलकर घातक हथियारों से लैश होकर अवैध जनसमूह का गठन कर उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त जमाव का सदस्य रहते हुए मृतक राकेश कुमार की हत्या कारित किए जाने सहित अन्य अपराध कारित किए जाने का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.04.2025 को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 148, 341 विकल्प में 341/149, 506 विकल्प में 506/149, 427 विकल्प में 427/149, 302 विकल्प में 302/149, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किए जाने के उपरांत प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन में गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 लगायत पी.डब्ल्यू. 12 की साक्ष्य लेखबद्ध हो चुकी है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण गवाहान की साक्ष्य शेष है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र उर्फ लोडिया का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने के पश्चात प्रकरण में ऐसा कोई तात्विक परिवर्तन होना प्रकट नहीं होता, जिसके आधार पर अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी हो। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी विभिन्न थानों में दो आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं।

9. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। **लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त रविन्द्र उर्फ सोनू उर्फ लोडिया की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा**

439 दण्ड प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

10. सम्मानीय न्यायिक विनिश्चय In Re pollcy strategty for Grant of bail SMMP (criminal) No 04/2021 Dtd. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्तण को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 5/एस.ओ./ 2025 दिनांक 12.03.2025 की पालना में एक कवरशीट भी प्रार्थी/अभियुक्त को सूचनार्थ आदेश की प्रति के साथ भिजवाई जावे।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

12. आदेश आज दिनांक 08 जून, 2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.10 08:45:13 IST